तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	16.12.2021 पत्रावली प्रस्तुत हुई। वादीगण अधिवक्ता अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित, जिनके द्वारा निवेदन किया कि समान अनवानी आराजीयात का एक अन्य वादपत्र उन्ही प्रक्षकारों में से श्री बदरी लाल पिता नारायण कुमावत द्वारा द्वारा दिनांक 14.09.2018 को न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान में जैरकार्यवाही होकर आज ही नियत है। समान वाद विषय आराजीयात के दो पृथक पृथक वादपत्र चलाया जाना न्यायोचित नही है। अतः इस मौजूदा वादपंत्र को पूर्ववृती वादपत्र संख्या 55/2018 से साथ संयोजित कराना फरमाया जावें। हमने विद्वान अभिभाषक के प्रस्तुत तर्को पर मनन किया एंव पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बारीकी से अध्ययन एंव परीक्षण किया गया। न्यायालय प्रतिवादी पक्ष के कहे अभिकथनों से सहमत है कि एक ही वाद विषय, आराजियात व उन्ही पक्षकारों के मध्य दुबारा वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहना धारा 11 जा.दी. के तहत प्रतिकूल सिद्ध होता है। उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के परिणामस्वरूप इस पश्चातवृती वादपत्र को इसी न्यायालय के समान आशय के पूर्ववृती वाद संख्या 55/2018 के साथ संलग्न/संयोजित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी फुलिया कलां (भोल.)